

रिजिस्ट्रार

सेवा में,

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी,  
कार्या. निदेशक राष्ट्रीय शक्ति संस्थान,  
कल्यानपुर, कानपुर नगर।

क्र. नो. १०३/२०१६

दिनांक 27/5/16

विषय: जनसूचना अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

निवेदन है कि जनसूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना उपलब्ध कराये:

- 1- आश्रित/अनुकम्पा के आधार पर जनवरी 2011 से आज दि.17.05.2016 तक विभाग द्वारा कोई भर्ती की गयी या नहीं।
- 2- विभागीय कैम्पेन जो सुचारू रूप से चल रही है। इसमें कई कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही हो रही है।
- 3- कैम्पेन की भर्ती पर कोई रोक नहीं है। स्व० श्रीकिशन गुप्ता के पुत्र को आज तक भर्ती क्यों नहीं किया गया? जबकि पूर्व पत्र में कार्यवाही हेतु शामिल किया गया था?
- 4- शकेश को नियमित किया गया है या नहीं।
- 5- केन्द्रीय सरकार कैम्पेन कर्मचारी संघ इओप्र० के द्वारा भेजे गये पत्रों का जवाब विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। यदि प्रेषित किया है तो छायाप्रति प्रदान करें।

नोट: 10/-रु० का भा.पो.आ. सं० 34F040379 दि० 10-04-16

भवदीय




(एस.के.सिंह)

मकान नं० 86/269, रायपुरवा,  
कानपुर नगर।

दिनांक: 18.05.2016

रिजिस्ट्रार दिनांक 22/06/2016



श्रीमान् जनसूचना अधिकारी

**राष्ट्रीय शर्करा संस्थान**

एक आई०एस०ओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान  
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  
(भारत सरकार)

e/10  
n.k.m.  
m.k.

दूरभाष : (0512) 2570541, 2570543  
फैक्स : (0512) 2570247

कानपुर, दि: 17.06.2016

सेवा में,

श्री एस० के० सिंह,  
मकान न०-86/209, रायपुरवा,  
कानपुर नगर

जारी  
संख्या 31  
दिनांक 17/6/16  
O.K.M.

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के संदर्भ में।  
महोदय,


आपके द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2016 को मांगी गयी सूचना कमवार है:-

1. नहीं।
2. रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रक्रिया जारी है।
3. स्वर्गीय श्री किशन गुप्ता के पुत्र को आज तक भर्ती क्यों नहीं किया गया? इस प्रश्न का उत्तर जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह सूचना संस्थान के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।
4. नहीं।
- 5- यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्रीय सरकार कैंटीन कर्मचारी संघ उ० प्र० के किस पत्र का यहां उल्लेख किया जा रहा है। अतः अधोहस्ताक्षरी सूचना प्रदान करने में असमर्थ है।  
उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 5(4) के अनुसार दी जा रही है।

जारी  
संख्या 40  
दिनांक 15/6/16  
O.K.M.

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं:-

श्री नरेंद्र मोहन,  
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,  
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,  
कानपुर-208017



भारतीय  
(राकेश शुक्ला)  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

etc